<u>अतिथि लेखाकार:</u> आयकर की धारा 194C - संविदात्मक भुगतान के संदर्भ में स्रोत पर काटा गया कर - CA ओंकार कुलकर्णी (omkarsculkarni29@gmail.com)

हमारे देश की प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में स्रोत पर काटा गया कर यानी TDS के बारे में हमने पिछले एक लेख में विस्तार से चर्चा की थी। जीन विभिन्न धाराओं के तहत स्रोत पर कर कटौती करना अनिवार्य है उन धाराओं में से धारा 194C इस धारा के बारे में आज के लेख में चर्चा करेंगे। स्रोत पर कर कटौती के नियम लागू होनेवाला लगभग हर व्यवसाय संविदात्मक भुगतान तो करता ही है। इसलिए संविदात्मक भुगतान के मामले में लागू होनवाले स्रोत पर कर कटौती के महत्वपूर्ण धाराओं के नियम आगे देखते है।

<u>धारा 194C किस पर लागू होती है?:-</u>

किसी भी निर्दिष्ट व्यक्ति ने किसी भी निवासी करदाता को किसी अनुबंध के तहत कौनसा भी काम करने के लिए (मजदुर उपलब्ध कराने का काम पकड के) भुगतान की रकम देते समय धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती कर के उसे सरकार के पास जमा करना आवश्यक होता है।

इस में निम्नलिखित कामों के अनुबंध शामिल हैं:-

1. विज्ञापन करना
2. प्रसारण करना या प्रसारणों से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण करना।
3. रेल के अलावा किसी अन्य माध्यम से माल या व्यक्तियों का परिवहन करना।
4. भोजन (कैटरिंग) उपलब्ध कराने का व्यवसाय।
5. किसी ग्राहक की आवश्यकताओं या निर्देशों के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण या आपूर्ति करना और उस के लिए उस ग्राहक से या धारा 40A(2) के तहत उल्लिखित उस के सहयोगियों से सामान खरीदना।

<u>धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती कब करें?:-</u>

किसी ठेकेदार को भुगतान कि रकम देते समय या वो रकम अपनी व्यावसायिक पुस्तकों में उस ठेकेदार के खाते में जमा करते समय - इन में से जो घटना पहले हो, उस समय आपको उस से संबंधीत स्रोत पर कर कटौती कर लेना आवश्यक है और उस के अनुसार वो कर सरकार के पास जमा करने का निर्धारित समय तय करना आवश्यक है। जैसे: एक ठेकेदार ने आपको दिनांक 15/07/2023 का उसका बिल दिया और आप ने उस तारीख को अपनी व्यावसायिक पुस्तकों में उसके नाम पर उस बिल की राशि जमा की, तो स्रोत पर कर कटौती दिनांक 15/07/2023 को करना आवश्यक है और दिनांक 07/08/2023 से पहले वो सरकार को जमा करना आवश्यक है। इस उदाहरण में, हमने उस ठेकेदार को उस बिल का भुगतान अगस्त या उसके बाद के किसी भी महीने में किया तो भी स्रोत पर काटे गए कर का भुगतान 07/08/2023 से पहले ही करना होगा। इसी उदाहरण में मान लेते हैं कि हमने उस ठेकेदार को उपरोक्त बिल प्राप्त होने से पहले दिनांक 25/06/2023 को कुछ राशि का अग्रिम भुगतान किया है। तो इस अग्रिम भुगतान की गई राशि पर हमें 25/06/2023 को ही कटौती कर के दिनांक 07/07/2023 से पहले वो सरकार को जमा करनी होगी।

<u>किस दर से धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती करनी हैं? :-</u>

हम जिसे भुगतान की रकम दे रहे हैं वो व्यक्ती यदि निवासी व्यक्तिगत करदाता हो या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हो तो हमें 1% के दर से कर कटौती करनी हैं। उपरोक्त दो प्रकार के करदाताओं के अलावा, किसी भी अन्य प्रकार के करदाता (जैसे- भागीदारी फर्म, कंपनी आदि) को भुगतान की रकम देते समय 2% के दर से कर कटौती करनी है। यदि कर कटौती करते समय सामने वाले व्यक्ति ने खुद का PAN आपको नही दिया हो तो कर कटौती 20% के दर से करनी होगी।

<u>किन परिस्थितियों में धारा 194C के तहत कर कटौती नहीं करनी हैं? :-</u>

1. यदि किसी अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि रु. 30,000/- या उससे कम होने पर धारा 194C के तहत कर कटौती की आवश्यकता नहीं है।

2. यदि किसी ठेकेदार को पूरे वित्तीय वर्ष में भुगतान किए जानेवाले अनेक रकमों को जोडकर कुल राशी रु. 1,00,000/- या उससे कम हो तो कर कटौती की आवश्यकता नहीं है।
3. यदि हम कोई खर्च व्यवसाय के लिए न करते हुए खुद के निजी उद्देश्य के लिए कर रहे हो तो इस प्रकार के ख़र्चों पर धारा 194C के तहत कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।
4. यदि हम किसी माल ट्रांसपोर्टर को माल ले जाने के लिए कुछ राशि का भुगतान कर रहे हो और उसके पास खुद के मालिकी की 10 या उससे कम माल ढाने की गाडियां हो, तो उसे भुगतान कीए जानेवाले राशि पर धारा 194 C के तहत कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, संबंधीत माल ट्रांसपोर्टर ने हमें उस के मालिकी की गाड़ीयों की संख्या के बारे में घोषणा पत्र देना आवश्यक है। और उसका अपना PAN देना भी जरुरी है।
5. उपर उल्लिखित 4 प्रकार के कामों के अनुबंधों में, चौथे नंबर के अनुबंध के मामले में यदि ठेकेदार ने अपने बिल में माल की रकम अलग से निर्दिष्ट की हो तो, उक्त माल की रकम पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, माल की रकम यदि अलग से नहीं बताई गई है, तो पूरे बिल की राशि पर कर कटौती करनी होगी।

<u>धारा 194C के तहत कटौती करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे/उदाहरण: -</u>

1. अनुबंध केवल लिखित रुप में ही होना चाहिए ऐसी शर्त इस धारा में नही हैं। इसलिए, मौखिक समझौतेवाले अनुबंधों के मामले में भी कर कटौती करनी होती हैं।
2. कई बार, कोई राशी, धारा 194C के तहत कर कटौती के पात्र जानें या धारा 194I के तहत पात्र जानें यह संदेह हो सकता है। जैसे किसी सोने-चांदी के व्यापारी ने किसी प्रदर्शनी में स्टॉल बुक किया हो तो ज्यादातर मामलों में संबंधित राशि उससे स्टाल क्षेत्र के किराए के रुप में ली जाती है और ऐसी राशि पर धारा 194I के तहत 10% के दर से कर कटौती करना आवश्यक होता है। कई व्यापारी ऐसे भुगतानों पर धारा 194C के तहत 1%/2% के दर से कर कटौती करते हैं। हालाँकि, इसपर कई मुकदमों में आयकर अधिकारियों ने आपत्ति जताई है।
3. ऊपर उल्लिखित दो धाराओं के बीच होनेवाले भ्रम की तरह ही, धारा 194C और धारा 194J के बीच भी अक्सर भ्रम होता है। पेशेवर या तकनीकी (Professional or Technical) स्वरुप की सेवाओं के लिए किए जानेवाले भुगतानों पर धारा 194J के तहत 10% इतने दर से कर कटौती करनी पडती हैं। लेकिन इस प्रकार के भुगतानों के संदर्भ में केवल अनुबंध किया गया है इसलिए धारा 194C के तहत कर कटौती करना अयोग्य है।
4. समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के मामले में उपरोक्त रु. 30,000/-/रु. 1,00,000/- की मर्यादा जांचकर धारा 194C के तहत कर कटौती करना आवश्यक है।
5. किसी खर्चे के मामले में धारा 194C के तहत दिए गए रु. 30,000/-/रु. 1,00,000/- की मर्यादाओं का उल्लंघन होगा या नहीं, इसका हमें वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अनुमान लगाना होगा और खर्चे के पहले रुपये से ही कर कटौती शुरु करनी होगी। कई व्यापारियों को यह गलतफहमी है कि उपरोक्त मर्यादाओं का उल्लंघन होने के बाद कर कटौती शुरु करनी हैं। हालाँकि, आयकर विभाग को ऐसा अपेक्षित नही है इसका ध्यान रखें।
6. यदि कर कटौती के लिए पात्र खर्चों के संबंध में कर कटौती नहीं की गई, तो ऐसे खर्चे में से 30% खर्च कुल आय में से कटौती के रुप में वापस नही मिलता है।

ऐसे इन महत्वपूर्ण धाराओं का उचित अध्ययन करके और उन के संबंधी लागू होनेवाले नियमों का पालन करके प्रत्येक व्यवसायी ने संबंधित भुगतान करने चाहिए।